


21-11-19 फा. वकील पेशा वादी एवं वकील वादी उप. वादी  
 द्वारा प्रार्थना पर पेश कर अपना दावा जस्टि-  
 सिद्धा खारिज किये जाने का निर्देश दिया।  
 वादी एवं वकील वादी ने बताया कि उनका  
 परिवारिका से राजीनामा / समझौता हो गया  
 है और वो वाद को छोड़ने में चलाता  
 चाहते हैं। वाद को जस्टि सिद्धा इसी स्तर  
 पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का इकलेशन  
 दिया चूंकि वादी, इफ्तन दावे का इस्का  
 ऑफ दूट है और स्वयं दावे को सिद्ध करना  
 चाहते हैं। प्रार्थना पर स्वीकार कर  
 दोष को जस्टि सिद्धा इसी स्तर पर खारिज  
 किया जाता है। पत्रावली फाइल मुकामल मुकाम  
 एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतार लोक

  
 R.T. 2. शुभदेव  
 Idhar  
 15/2

महायक कलेक्टर

